

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेडिकल प्रवेश में दवियांगों के अधिकारों का वसितार

[स्रोत: HT](#)

सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त दवियांगता मानदंडों के आधार पर व्यक्तियों को शक्ति के अवसरों से वंचित करने के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसने दवियांगता मूल्यांकन बोर्डों को यह मूल्यांकन करने का निर्देश दिया कि क्या किसी व्यक्तिकी दवियांगता वास्तव में उसे सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने से रोकती है।

- यह निर्णय वर्ष [1997 के ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन](#) को दी गई चुनौतियों के बीच आया है, जिसके तहत पहले 40% या उससे अधिक दवियांगता वाले व्यक्तियों को MBBS पाठ्यक्रमों से बाहर रखा गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 40% या उससे अधिक की मानक दवियांगता (या दवियांगता के आधार पर अन्य निर्धारित प्रतिशत) होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को आवेदित पाठ्यक्रम के लिये पात्र होने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
 - यह व्यक्तितगत मूल्यांकन के महत्व पर बल देता है तथा [दवियांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016](#) के अंतर्गत समावेशी नीतियों की वकालत करता है।
 - वर्ष 2016 RPwD अधिनियम दवियांगता अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य दवियांग व्यक्तियों के पूर्ण अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।
- दवियांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) दवियांगजन सशक्तिकरण अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। दवियांगता मूल्यांकन बोर्ड (DAB) एक नामित पैनल है जो व्यक्तियों में दवियांगता की सीमा का मूल्यांकन और प्रमाणन करने के लिये स्थापित किया गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार, DAB को यह सकारात्मक रूप से दर्ज करना चाहिये कि क्या अभ्यर्थी की दवियांगता, उसके संबंधित पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा बनेगी या नहीं, तथा यदि ऐसा प्रतीत होता है तो उसे कारण भी बताना चाहिये।

और पढ़ें: [भारत में दवियांगजन, मेडिकल कॉलेज की सीटें और नए नियम](#)